उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-1/28/5/80-का-4-2014
लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.11.1999 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने पर, एकल पदीय संवर्गों को छोड़ते हुए, अन्य संवर्गों में प्रतीक्षा सूची अथवा रिशफलिंग की कार्यवाही न की जाय।

2. शासन के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.11.1999 के प्रस्तर-2(2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

> 2(2)- चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्यभार अवश्य ग्रहण कराया जाय किन्तु जहां संबंधित विभाग/संस्था/संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी मा. न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित किया गया हो अथवा त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित किये जाने/अधियाचन में अंकित पदों के उपलब्ध न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

3. इस कार्यालय ज्ञाप के प्राविधान ऐसे चयनों में भी प्रभावी होंगे, जिनसे संबंधित संस्तुतियां आयोग द्वारा संबंधित विभागों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-28/5/80(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in